

पत्र संख्या-974-ई/ हित/COVID-19/ज०व०।
दिनांक-03.05.2020

सभी अधिकारी,
सभी वरि० खंड० अभियंता,
जगाधरी - कालका वर्कशॉप।

विषय- लॉकडाउन की अवधि के दौरान जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप का आवश्यक गतिविधियों हेतु चलाना।

सन्दर्भ:- (i) रेलवे बोर्ड के पत्रांक-2020/Safety/DM/6/14 दिनांक -02.05.2020
(ii) गृह मंत्रालय के आदेश संख्या-40-3/2020-DM-1(A) दिनांक-01.05.2020

गृह मंत्रालय के क्रमांक (ii) पर संदर्भित आदेश के द्वारा देश में लॉक डाउन की अवधि को 17.05.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

जगाधरी एवं कालका कारखाना में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-19.04.2020 के द्वारा सीमित गतिविधियों की अनुमति Standard Detailed Operating Procedure (SDOP) के अनुसार जारी की गई थी।

अतः उपरोक्त के अनुसरण में जगाधरी एवं कालका कारखाना में जारी पूर्व निर्देशानुसार **Standard Detailed Operating Procedure (SDOP)** के अनुसार कार्य होता रहेगा।

इन गतिविधियों के लिए जिन कर्मचारियों को अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा नामित किया जाएगा, बुलाए जाने पर कार्य स्थल पर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

इस विषय में समय-समय पर जारी COVID-19 के समस्त परामर्शों, Standard Detailed Operating Procedure (SDOP) एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी अन्य सभी अनुदेशों का भी कड़ाई से पालन करना सभी स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।



कृते मुख्य कारखाना प्रबंधक,
उत्तर रेलवे/जगाधरी वर्कशॉप।

प्रतिलिपी/ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सभी अधिकारीगण जगाधरी वर्कशॉप एवं कालका वर्कशॉप।
2. सभी यूनियन/ एसोसियेशन (यांत्रिक- विद्युत) ज०व० एवं कालका वर्कशॉप।
3. सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक /इंचार्ज जगाधरी एवं कालका वर्कशॉप।
4. कंपनी कमांडर रेलवे सुरक्षा बल।